

प्रेषक

अनिल कुमार  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,  
उच्चम प्रोत्साहन ३०४०, कानपुर।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी,,  
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उच्चम अनुभाग-2

लब्धिकारी: दिनांक: 23 अगस्त, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नर्मेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा शासकीय विभागों के उपयोगार्थ सामग्री व सेवाओं की क्रय व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा आनलाइन प्लेट फार्म Government e-Market Place, जेम (GeM) विकसित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जेम (GeM) को नेशनल प्रॉफिलिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में अनुमोदित किया गया है और इसे सामान्य वित्तीय नियम-2017 द्वारा भारत सरकार के सभी विभागों हेतु बाध्यकारी बनाया गया है। इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/ विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाया जाना संभव हुआ है।

2- सामग्री के क्रय के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उच्चम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(SP)/2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स)-2016 को प्रत्यापित किया है। इस मैनुअल के अध्याय-8, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत प्रस्तर-8.4 में सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई है। प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार सामग्री क्रय हेतु ऐसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वैष साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किसी प्रक्रिया को अधिसूचित कर सकती है जो क्रय के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप तथा जनहित में हो। यह उल्लेखनीय है कि यह मैनुअल केवल सामग्री के क्रय के लिए प्रभावी है तथा इसमें सेवाओं को लिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

3- अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं की क्रय प्रक्रिया को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु पोक्योरमेंट मैनुअल के प्रस्तर-8.4 के बिंदु 10 की व्यवस्था के अंतर्गत सामग्री के क्रय तथा सेवाओं को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के General Financial Rules-2017 के नियम 149 में निहित प्राविधानों के अनुरूप निम्न व्यवस्था प्रब्लयापित की जा रही है:-

(1) जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जो सामग्री अथवा सेवाएं जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उन के लिए उत्तर प्रदेश पोक्योरमेंट मैनुअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

(2) उपरोक्तवत् क्रय करने वाले विभागों अथवा संस्थाओं को क्रय किए जाने की दरों के उपयुक्त होने को प्रमाणित किया जाएगा।

(3) क्रय करने वाले सरकारी विभागों अथवा संस्थाओं द्वारा जेम पोर्टल का उपयोग निम्नवत् किया जाएगा:-

(i) ₹0 50,000 तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता है।

(ii) ₹0 50,000 से अधिक और ₹0 30,00,000 तक का क्रय जेम पर उपलब्ध ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो उपलब्ध आपूर्ति कर्ताओं में से सबसे कम मूल्य का सामान ओफर कर रहा है, परंतु शर्त यह है कि कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हैं। जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन विडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ओफशल के ट्रूल्स का उपयोग भी केवल विभाग द्वारा किया जा सकेगा, अगर सकाम प्राधिकारी इस संबंध में निर्णय लेता है।

(iii) ₹0 30 लाख से ऊपर के क्रय में अनियार्थ रूप से ऑनलाइन विडिंग अथवा रिवर्स ओफशल ट्रूल का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ओफर करता है।

(iv) ऑनलाइन विडिंग अथवा रिवर्स ओफशल में आमंत्रण जेम पोर्टल पर उपलब्ध सभी वर्तमान विक्रेताओं अथवा अन्य पंजीकृत विक्रेताओं को उपलब्ध होगा, जो जेम की नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपना प्रस्ताव करते हैं।

1- यह राजसनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जर्नी किया गया है, जल्दः इस पर हस्ताक्षर की जावश्यकता नहीं है।

2- इस राजसनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://honestgovernance.nic.in> से मात्रापित की जा सकती है।

(v) उपरोक्त भौतिक सीमा केवल ऊंचाई के आधार से छाय करने पर लागू होती। अब्द्य विधि से छाय करने पर पूर्णवर्त् भौतिक सीमा लागू रहती।

(vi) ऐसा विभागी से यह अपेक्षा की जाती है कि ऊंचा पीटैल पर उपलब्ध उद्योगस्थ विश्लेषक (business analytics) द्वारा, जिसमें ऊंचा पर उपलब्ध अंतिम छाय मूल्य, विभाग द्वारा अंतिम छाय मूल्य इत्यादि सम्बन्धित हैं, का उपयोग कर मूल्यों के संबंध में अधिकृत्य सुविधित कर दीजे एवं उसके बाट ही अपने छाय आदेश दीजे।

(vii) आवश्यकता को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर छाय नहीं किया जाएगा।

(viii) संबंधित विभाग ऊंचा पीटैल के लिये एवं शर्तों के आधार पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को आवश्यक अधिकार प्रतिसंहित बनाए हेतु आदेश निर्गत करेंगे।

(ix) ऊंचा पीटैल के उपयोग में आने वाली विभिन्नाद्वयों को दृष्टु करने के लिए मूल्य, लघु एवं अव्याप्त उपयोग विभाग कार्यकारी नियंत्रण नियंत्रण कर जाकेगा।

4- इस संबंध में बढ़ो यह कहने का लिंदेश हुआ है कि कृपया उपलब्धुतार अवगत होने कुरी शर्मी संबंधित को अपने स्तर से सुरक्षित नियंत्रण बनाए बाहर करें।

अधीक्षीय

( अमित कुमार )

प्रमुख सचिव।

माना-11/2017/523(1)/18-2-2017-97(BOSQ)/2016, लिटिलांक

प्रतिलिपि लिम्लिवित को मूल्याद्य एवं आवश्यक जारीताहै हेतु देखित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं इक्लारी/लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, 30प०, हुताहायाद।
- 2- प्रमुख सचिव, वी सद्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, नाठी युवराजी, उत्तर प्रदेश।
- 4- स्टाफ अधीक्षीय, मूल्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अध्यक्ष, कैन्टीय संस्कैत्ता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 6- निदेशक, न्यायालय विधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, हुताहायाद।
- 7- गाँड़ी चालूक।

आला से

( नट धर्मप लिंग )

विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनद्वारा द्विवेद्यालिकी जैसी किया जाये है, अतः इस पर इसका वी अधाराद्या नहीं है।
  - 2- इस शासनद्वारा वी प्रतीक्षित होने वाला <http://shashankashayam.com> से सम्बन्धित ही जा सकते हैं।